बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांकः 11/यो०–10/2025–342 पटना, दिनांक–03/02/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वाराः आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित पी० एम० श्री योजना (60:40) के अन्तर्गत राज्य के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों हेतु कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कुल राशि ₹14,85,85,00,000 (चौदह अरब पचासी करोड़ पचासी लाख) मात्र विरूद्ध केन्द्रांश मद् में प्राप्त ₹3,00,22,72,000/– (तीन अरब बाईस लाख बहत्तर हजार) मात्र का Mother Sanction तथा राज्यांश की राशि ₹2,00,15,14,667/– (दो अरब पन्द्रह लाख चौदह हजार छः सौ सडसठ) मात्र अर्थात कुल ₹5,00,37,86,667 (पाच अरब सैंतीस लाख छियासी हजार छः सौ सडसठ) मात्र राशि की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित पी० एम० श्री योजना (60:40) के अन्तर्गत राज्य के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों हेतु कैबिनेट द्वारा स्वीकृत कुल राशि ₹14,85,85,00,000 (चौदह अरब पचासी करोड़ पचासी लाख) मात्र विरूद्ध केन्द्रांश मद् में प्राप्त ₹3,00,22,72,000/– (तीन अरब बाईस लाख बहत्तर हजार) मात्र का Mother Sanction तथा राज्यांश की राशि ₹2,00,15,14,667/– (दो अरब पन्द्रह लाख चौदह हजार छः सौ सडसठ) मात्र अर्थात कुल ₹5,00,37,86,667 (पाच अरब सैंतीस लाख छियासी हजार छः सौ सडसठ) मात्र राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक–Acctts/196/2024-25-110, दिनांक–06.01.2026 के माध्यम से पी० एम० श्री योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश मद् से ₹3,00,22,72,000/– (तीन अरब बाईस लाख बहत्तर हजार) मात्र का Mother Sanction एवं राज्यांश मद् से ₹2,00,15,14,667/– (दो अरब पन्द्रह लाख चौदह हजार छः सौ सडसठ) मात्र अर्थात कुल ₹5,00,37,86,667 (पाच अरब सैंतीस लाख छियासी हजार छः सौ सडसठ) मात्र राशि की व्यय हेतु CFMS के Web-Portal पर आवंटन (Virtual Sanction) उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. केन्द्र प्रायोजित पी०एम० श्री योजना अन्र्तगत राज्य के चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP-2020)

के अनुरूप विकसित करना, कक्षा 06वीं–12वीं के विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षण, कौशल, नवाचार, तकनीकी साक्षरता को बढ़ावा दिया जायेगा।

4. इस योजना के तहत उक्त विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी की स्थापना की जायेगी, जिसके तहत् विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान किया जायेगा। साथ हीं उक्त विद्यालयों के शिक्षकों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान कर बेहतर शिक्षण–प्रणाली विकसित कर सकेंगे।

5. पी०एम० श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों के संचालन पर होने वाले सभी प्रकार के व्यय का वहन केन्द्र एवं राज्य योजना निधि से केन्द्रांश एवं राज्यांश मद् अंतर्गत 60:40 के अनुपात में किया जायेगा। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के माध्यम से किया जाएगा।

6. इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं NEP–2020 के अनुरूप कार्य निष्पादित करना होगा। चयनित विद्यालयों में अवसंरचना का विकास और प्रशिक्षण से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ निर्धारित शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित की जायेगी। प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास, लैब, पुस्तकालय तथा ग्रीन–स्कूल सुविधाओं की अनिवार्य उपलब्धता विभाग के दिशा–निर्देशों में शामिल होंगे। उक्त विद्यालयों में प्रगति की नियमित समीक्षा शिक्षा विभाग तथा केंद्र सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर की जाएगी। निर्धारित समय–सीमा के भीतर सभी लक्ष्यों की पूर्ति शत–प्रतिशत सुनिश्चित करना चयनित एजेंसियों की प्रमुख जिम्मेवारी होगी।

7. प्रस्तावित योजना की राशि का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–02–माध्यमिक शिक्षा लघुशीर्ष–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उपशीर्ष–0212–पी०एम०श्री योजना, विपत्र कोड–21–2202–02–109–0212, विषयशीर्ष–31.05–परिसम्पतियों के निर्माण में ₹6,86,65,00,000/–(छः अरब छियासी करोड़ पैंसठ लाख) मात्र अंतर्गत कुल ₹3,50,26,50,667/–(तीन अरब पचास करोड़ छब्बीस लाख पचास हजार छः सौ सडसठ) एवं विषयशीर्ष–31.06–सहायक अनुदान गैर–वेतन मद में ₹7,99,20,00,000/–(सात अरब निन्यावें करोड़ बीस लाख) मात्र अंतर्गत कुल ₹1,50,11,36,000/–(एक अरब पचास करोड़ इग्यारह लाख छत्तीस हजार) मात्र अर्थात ₹5,00,37,86,667 (पाच अरब सैंतीस लाख छियासी हजार छः सौ सडसठ) मात्र राशि का व्यय संगत मद् में उपबंधित राशि से होगा।

संगत मद् में वित्तीय वर्ष 2025–26 में मूल बजटीय उपबंध ₹5,23,85,00,000/–(पांच अरब तेइस करोड़ पचा सी लाख) मात्र तथा प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से कुल ₹9,62,00,00,000/–(नौ अरब बासठ करोड़) मात्र अतिरिक्त राशि के उद्व्यय के पश्चात् इस मद् मे कुल ₹14,85,85,00,000 (चौदह अरब पचासी करोड़ पचासी लाख) मात्र राशि का उद्व्यय/उपबंध प्राप्त है।

8. उक्त स्वीकृत राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। विमुक्त की जाने वाली राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा SNA SPARSH Module के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। जिसके तहत उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु RBI Patna मे Drawing Account (A/C No.-01585501183) खोला गया है, जिसमें केन्द्रांश मद् में ₹3,00,22,72,000/– (तीन अरब बाईस लाख बहत्तर हजार) मात्र का Mother Sanction तथा राज्यांश मद् से ₹2,00,15,14,667/– (दो अरब पन्द्रह लाख चौदह हजार छः सौ सडसठ) मात्र अर्थात कुल ₹5,00,37,86,667 (पांच अरब सैंतीस लाख छियासी हजार छः सौ सडसठ) मात्र राशि अंतरित की जायेगी। यह कार्य CFMS के माध्यम से स्थापित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

9. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शिक्षा विभाग के माध्यम से महालेखाकार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना की होगी।

10. राशि की निकासी एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत निदेशों/आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजना के निर्माण का दोहरीकरण एवं राशि का अपव्यय किसी भी स्थिति में न हो।

11. राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का निरंतर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य परियोजना परिषद्, पटना या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी/प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जायेगा।

12. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि राशि का विचलन किसी भी अन्य मदों में नही कियां जायेगा।

13. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका 05 (क) (i) के आलोक में निर्गत की जा रही है।

14. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक 05–10–2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में विभागीय आदेश एवं समय–समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि में निहित निदेशों का अनुपालन करते हुए की जाएगी।

16. उक्त योजना एवं राशि की स्वीकृति दिनांक–13.01.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्राप्त है।

17. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार, शिक्षा विभाग की सहमति संचिका संख्या–11/यो०–10/2025 के **पृष्ठ/नोट–89/टि0** पर प्राप्त है।

18. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–11/यो०–10/2025 के **पृष्ठ/नोट–99/टि0** पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 11/यो०–10/2025............ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 11/यो०–10/2025............ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि:– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार पटना/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं एवं विकास विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग/उप निदेशक, योजना कोषांग, शिक्षा विभाग/बजट पदाधिकारी, बजट शाखा, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा एवं आई०टी० मैनेजर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 11/यो०–10/2025–342 पटना, दिनांक 03/02/2026

प्रतिलिपि:– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप सचिव, शिक्षा विभाग